न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 —92/2019

अनवान : —

1. रणवीर पुत्र चेतन जाति खाती निवासी मेहलिया तहसील भादरा।
2. कालुराम पुत्र चेतन जाति खाती निवासी मेहलिया तहसील भादरा।
3. इन्द्रादेवी पत्नी महेन्द्रसिंह जाति खाती निवासी मेहलिया तहसील भादरा।
4. लीलाधर पुत्र महेन्द्रसिंह जाति खाती निवासी मेहलिया तहसील भादरा।

:—वादीगण

बनाम

1. चेतन पुत्र धन्नाराम जाति खाती निवासी मेहलिया तहसील भादरा।
2. ममता पुत्री महेन्द्रसिंह जाति खाती निवासी मेहलिया तहसील भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री कपूरचन्द शर्मा **वादीगण**
श्री सुरेन्द्र बेनीवाल **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 22.10.2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा महेलिया के खाता सं 22/22 के खसरा सं 76/1 की 7.6510है0 खसरा सं 117 की 0.0250है0 कुल 7.6760है0 बारानी तथा रोही मौजा मुन्दड़िया छोटा के खाता सं 29/31 के खसरा सं 2 की 0.0630है0 खसरा सं 34 की 2.7190है0 कुल 2.7820है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं 1 चेतन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू है। उपर वर्णित कृषी भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि पहले वादी के दादा धन्नाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। धन्नाराम के देहान्त के बाद वाद भूमि विरासतन प्रतिवादी सं 1 चेतन ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली। वाद भूमि पैतृक सम्पति है अतः वाद भूमि में वादीगण सं 1 व 2 तथा वादी सं 3, 4 तथा प्रतिवादी सं 2 सयुक्त रूप से एवं प्रतिवादी सं 1 बहिस्सा बराबर के काश्तकार है। वाद भूमि महज कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं 1 चेतनस के नाम विरासतन दर्ज हो गई। वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है और इससे वादीगण के हकों पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। वादीगण को अपने हक की घोषणा का कानूनी अधिकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:03:48 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि को समतल, उपजाउ करवाना चाहता है जिसके लिए उसे ऋण केसीसी आदि की आवश्यकता होती है। वादीगण ने प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

को वाद भूमि में अपने हक अधिकारों की घोषणा करवाने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वह ऐसा मानने से सहमत व रजामंद हो गये। लिहाजा यही बिनाय मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो वाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। चूकिं उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए पत्रावली में साक्ष्य पेंश किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी रणवीर पुत्र चेतन निवासी महेलिया के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में प्रस्तुत सत्यप्रतिलिपी जमाबंदी सवंत 2072–75 प्रदर्श 1 व सवंत 2074–77 प्रदर्श 2 तथा खसरा सेटलमेंट विभाग प्रदर्श 3 व 4 सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने रोही मौजा महेलिया के खाता सं 22/22 के खसरा सं 76/1 की 7.6510है0 खसरा सं 117 की 0.0250है0 कुल 7.6760है0 बारानी तथा रोही मौजा मुन्दड़िया छोटा के खाता सं 29/31 के खसरा सं 2 की 0.0630है0 खसरा सं 34 की 2.7190है0 कुल 2.7820है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं 1 चेतन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। साक्ष्यवादी में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 में प्रतिवादी सं 1 चेतन के तीन पुत्र रणवीर, कालुराम व महेन्द्र व इनकें अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। महेन्द्र पुत्र चेतन फौत होना बताया गया है जिसका मृत्युप्रमाण पत्र सलंग्न है जिसके जायज वारिसान में पत्नि इन्द्रादेवी व एक पुत्र लिलाधर तथा एक पुत्री ममता है। वाद भूमि में से प्रतिवादी सं 1 ने अपना हक हिस्सा वादी सं 1 व 2 तथा महेन्द्र सिंह के वारिसान के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया। प्रतिवादी [illegible] हक हिस्सा वादी सं 3 व 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया। जिसे [illegible] में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार वाद भूमि में से प्रतिवादी [illegible] कर वादी रणवीर 1/3 हिस्सा वादी कालुराम 1/3 हिस्सा तथा वादी सं 3 व 4 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:03:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

के काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति काबिल स्वीकृत योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा महेलिया के खाता सं 22/22 के खसरा सं 76/1 की 7.6510है0 खसरा सं 117 की 0.0250है0 कुल 7.6760है0 बारानी तथा रोही मौजा मुन्दड़िया छोटा के खाता सं 29/31 के खसरा सं 2 की 0.0630है0 खसरा सं 34 की 2.7190है0 कुल 2.7820है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं 1 चेतन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **में प्रतिवादी सं 1 चेतन का कलमजन कर वादी रणवीर 1/3 हिस्सा वादी कालुराम 1/3 हिस्सा तथा वादी सं 3 व 4 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा के काश्तकार घोषित किये जाते है।** चुंकि प्रतिवादी सं 1 ने अपना हक हिस्सा वादी सं 1 व 2 तथा महेन्द्र सिंह के वारिसान के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया व प्रतिवादी सं 2 ने अपना हक हिस्सा वादी सं 3 व 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया अतः त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा **वादी सं 1 रणवीर 1/3 हिस्सा वादी सं 2 कालुराम 1/3 हिस्सा तथा वादी सं 3 इन्द्रादेवी व वादी सं 4 लीलाधर को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा** के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर R.A.S.
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:03:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिकी

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 –92/2019

अनवान : –

1. रणवीर पुत्र चेतन जाति खाती निवासी मेहलिया तहसील भादरा।
2. कालुराम पुत्र चेतन जाति खाती निवासी मेहलिया तहसील भादरा।
3. इन्द्रादेवी पत्नी महेन्द्रसिंह जाति खाती निवासी मेहलिया तहसील भादरा।
4. लीलाधर पुत्र महेन्द्रसिंह जाति खाती निवासी मेहलिया तहसील भादरा।

:—वादीगण

बनाम

1. चेतन पुत्र धन्नाराम जाति खाती निवासी मेहलिया तहसील भादरा।
2. ममता पुत्री महेन्द्रसिंह जाति खाती निवासी मेहलिया तहसील भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यानाराण सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री कपूरचंद शर्मा व वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र बेनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा महेलिया के खाता सं 22/22 के खसरा सं 76/1 की 7.6510है0 खसरा सं 117 की 0.0250है0 कुल 7.6760है0 बारानी तथा रोही मौजा मुन्दड़िया छोटा के खाता सं 29/31 के खसरा सं 2 की 0.0630है0 खसरा सं 34 की 2.7190है0 कुल 2.7820है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं 1 चेतन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **में प्रतिवादी सं 1 चेतन का कलमजन कर वादी रणवीर 1/3 हिस्सा वादी कालुराम 1/3 हिस्सा तथा वादी सं 3 व 4 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा के काश्तकार घोषित किये जाते है।** चुंकि प्रतिवादी सं 1 ने अपना हक हिस्सा वादी सं 1 व 2 तथा महेन्द्र सिंह के वारिसान के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया व प्रतिवादी सं 2 ने अपना हक हिस्सा वादी सं 3 व 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया अतः त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि वैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा **वादी सं 1 रणवीर 1/3 हिस्सा वादी सं 2 कालुराम 1/3 हिस्सा तथा वादी सं 3 इन्द्रादेवी व वादी सं 4 लीलाधर को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा** के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपनी अपनी वहन [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:03:48 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.10.2019 [illegible] हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर R.A.S.
(फास्ट ट्रैक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner